ग्राम पंचायत तरहेल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15 से 31.03.18

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तरहेल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.15 से 22.01.16
2	श्री विनोद कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप चंद	01.04.15 से 06.12.16
2	श्री विवेक कुमार	07.12.16 से 28.03.17
3	श्री अश्वनी कुमार	29.03.17 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत तरहेल, विकास खण्ड पंचरुखी के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में भारी अन्तर पाया जाना	2.83
2	पैरा-5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	2.04
3	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	9.17
4	पैरा-7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का	7.62

		क्रय करना	
5	पैरा-8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	9.63

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत तरहेल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.07.18 से 09.07.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	02/2016	06/2015
2016-17	03/2017	03/2017
2017-18	-	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत तरहेल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 206 दिनांक 09.07.18 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 186191 (KCCB) दिनांक 13.07.18 ₹7200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत तरहेल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत तरहेल, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	65933	35013	100946	45837	55109
2016-17	55109	2797	57906	22671	35235
2017-18	35235	1386	36621	8574	28047

अनुदान :- ग्राम पंचायत तरहेल, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	182182	1130497	1312679	593417	719262
2016-17	719262	2285513	3004775	1841571	1163204
2017-18	1163204	1970226	3133430	2216043	917387

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹28047/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹917387/-

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.18 को अन्तिम शेष : ₹945434/-

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1227977.09/-

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : शुन्य

अन्तर : ``282543.25/-

दिनांक 31.3.18 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का विवरण:-

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB- 20054004809	208354
TSC, KCCB-50057004858	28953
VKVNY, KCCB-50057003048	44041
14TH FC, KCCB-50057004224	887457.40
MMGPY, KCCB-50057014765	838
NC, KCCB-50057013772	20683
SDP, KCCB-50057002114	15915
MPLAD, KCCB-50057013502	17098
GEN, PNB- 6412000100019684	4637.69
कुल राशि	**1227977.09**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹2.83 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹282543 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है। जिस बारे

स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205 दिनांक 09.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 10.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की राशि `282543/- बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ वहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जिसे शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.3 बैंक में जमा राशि ₹3301 का रोकड़ वही का रख-रखाव न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत के नाम बैंक खाता संख्या KCCB- 50056574547 में दिनांक 31.03.18 को `3301/- जमा थे लेकिन इस खाते का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था । अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाब के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके।

4.4 खाता संख्या 50057013772 (KCCB) की दिनांक 27.07.16 से पूर्व की बैंक पासबुक प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान बैंक खाता संख्या KCCB- 50057013772 (Natural Clamity) की पास बुक दिनांक 27.07.16 से जांच हेतु प्रस्तुत की गई थी जबकि दिनांक 27.07.16 को ₹100000 इससे पिछली अवधि से अग्रेषित की (Forward) गई थी । अतः उक्त बैंक खाते की दिनांक 27.07.16 से पूर्व अवधि की पासबुक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4.5 जांच में पाया कि पंचायत द्वारा डाकघर में खाता संख्या 180012 खोला गया था एवं दिनांक 20.03.1997 के पश्चात खाते को update नहीं करवाया गया था। दिनांक 20.03.1997 को उक्त खाते में ₹33.55 थे । अतः उक्त खाते की वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इसे वित्तीय स्थिति में शामिल किया जाए ।

5 पंचायत राजस्व ₹2.04 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर फीस एवं विवाह पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु दिनांक 31.3.18 को निम्नविवरणानुसार ₹204045 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

1 **गृहकर :**

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2015-16	-	56835	56835	27540	29295
2016-17	29295	47520	76815	0	76815
2017-18	76815	72825	149640	0	149640

2 दिनांक 01.04.15 को गृहकर का प्रारम्भिक शेष ₹0.51 लाख का न दर्शाना :-

जांच में पाया कि पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 01.04.15 को गृहकर का प्रारम्भिक शेष शुन्य दर्शाया था जबकि जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में कुल गृहकर की वसूली योग्य राशि ₹51435 में से केवल ₹480 ही वसूले गये थे एवं केवल वर्ष 2014-15 का गृहकर ही ₹50955 शेष था। अतः दिनांक 01.04.15 को गृहकर के रूप में प्रारम्भिक शेष की राशि शुन्य दर्शाना सही प्रतीत नहीं होता है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205 दिनांक 09.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 10.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 01.04.15 को गृहकर के प्रारम्भिक शेष से अवगत करवा दिया जाएगा। अतः गृहकर की बकाया राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं समस्त राशि की वसूली करने के साथ-साथ गृहकर के रख-रखाब का रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें।

3 भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 से 2017-18 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

4 शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹0.03 लाख की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 02/2018 में निम्न विवरणानुसार ₹3450/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
96	श्री सन्नी शर्मा	23.11.2016	15.12.2016	200/-
97	श्री कमलेश कुमार	04.11.2016	19.12.2016	400/-
98	श्री बलवन्त सिंह	30.11.2016	24.12.2016	200/-
99	श्री अजय कुमार	02.11.2016	26.12.2016	400/-
104	श्री सुशील कुमार	22.01.2017	21.02.2017	200/-
106	श्री दिनेश कुमार	28.02.2017	10.03.2017	200/-
110	श्री अजय शर्मा	29.01.2017	21.04.2017	400/-

113	श्री पिंकू कुमार	03.03.2017	11.05.2017	400-50=350/-
114	श्री अश्वनी कुमार	04.05.2017	-	400/-
123	श्री मनीष राणा	29.09.2017	25.11.2017	400-200= 200/-
128	श्री सुमित कुमार	28.11.2017	16.12.2017	200-100= 100/-
130	श्री अंबुज	10.11.2017	22.01.2018	400-200=200/-
135	श्री पवन कुमार	17.02.2018	21.03.2018	400-200=200/-
			कुल राशि	**3450/-**

5 शादी की पंजीकरण फीस के रूप में वसूले ₹ 0.03 लाख को पंचायत के खाते में जमा न करना:-

जांच में पाया कि निम्न विवरणानुसार ₹3150/- शादी पंजीकरण फीस के रूप में वसूल किए गए थे लेकिन यह राशि पंचायत के निधि खाते में जमा नहीं किए गए थे, जोकि एक गम्भीर अनियमितता थी, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205 दिनांक 09.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 10.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि ₹3300 दिनांक 09.07.18 को खाता संख्या 20054004809 में जमा कर दिये गए जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी, लेकिन वसूली गई उक्त राशि को निर्धारित समय में पंचायत के खाते में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाये।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	रसीद संख्या	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
111	श्री शेलेन्द्र पाल	36/03.05.17	200/-
112	श्री देश राज	37/11.05.17	200/-
113	श्री पिंकू राम	38/11.05.17	50/-
116	श्री पवन कुमार	39/06.07.17	200/-
117	श्री अनुज कुमार	40/17.06.17	200/-
119	श्री सुरेन्द्र कुमार	41/24.08.17	200/-
122	श्री अनुज कुमार	42/24.08.17	200/-
123	श्री मनीष राणा	43/25.11.17	200/-
125	श्री सुरजीत कुमार	44/11.12.17	200/-
126	श्री अनिल कुमार	45/11.12.17	200/-
127	श्री मनोज कुमार	46/14.12.17	200/-
128	श्री सुमित कुमार	47/27.12.17	100/-
129	श्री गोरव सरवाल	48/27.12.17	200/-
130	श्री अंबुज	49/22.01.18	200/-
133	श्री कमलेश कुमार	50/21.02.18	200/-
134	श्री संजीव कुमार	51/09.03.18	200/-
135	श्री पवन कुमार	52/21.03.18	200/-

	कुल राशि	**3150/-**

6 अनुदान ₹9.17 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹917387 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.62 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹761810 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि वर्ष 2017-18 में प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 25.05.17 द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई थी एवं निविदाएँ प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम दरें निर्धारित करने हेतु निविदाओं को न तो सत्यापित किया गया था एवं न ही ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमों के अनुसार प्रस्ताव पारित करके दरें निर्धारित करना सुनिश्चित करें।

8 ₹9.63 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹963168 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 14 वें वित्त आयोग से ₹5235 का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 34 दिनांक 28.07.17 (14^{th} FC Cash Book) की जांच में पाया कि बिल संख्या 1838 दिनांक 24.07.17 द्वारा मैसर्ज कपूर इन्डेन ग्राम वितरक से ₹5235 में गैस कनैक्शन

लिया गया था, जिसका प्रावधान 14वें वित्त आयोग में न होने के कारण अनियमित था। अतः उक्त व्यय को बिना प्रावधान एवं स्वीकृति के करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹5235 की वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार के अनियमित व्यय न किये जायें।

10 पंचायत निधि से ₹1000 का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 58 दिनांक 20.01.15 की जांच में पाया कि बिल संख्या 155 दिनांक 26.01.15 द्वारा मैसर्ज दैनिक जागरण को विज्ञापन हेतु ₹3000 का भुगतान किया गया था, जबकि ग्राम पंचायत के **परिशिष्ट "ए"** के बजट शीर्ष-13 के अन्तर्गत विज्ञापन हेतु ₹2000 का प्रावधान है। अतः विज्ञापन पर किए गए ₹1000 के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹1000 की वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार के अनियमित व्यय न किये जायें।

11 पंचायत निधि से ₹0.28 लाख का अनियमित भुगतान :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त राशि को बैंक में जमा करके चैक द्वारा भुगतान करना प्रावधित है। जांच में पाया कि दिनांक 02.02.16 को पंचायत द्वारा गृहकर के रूप में ₹27540 एकत्रित की गई थी एवं इसका इन्द्राज रोकड़ वही के पृष्ठ-21 में किया गया था एवं इस राशि को बैंक में जमा न करके निम्न-विवरणानुसार व्यय किए दर्शाये थे एवं इन व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त राशि से किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता हैं। अतः नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में इस प्रकार के भुगतान करने से परिहार किया जाये एवं व्यय से संबन्धित अभिलेख भी आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं	वाउचर संख्या	राशि
1	87 दिनांक 02.02.16	2040.00
2	88 दिनांक 02.02.16	4000.00
3	89 दिनांक 02.02.16	500.00
4	90 दिनांक 02.02.16	2500.00
5	91 दिनांक 02.02.16	2355.00
6	92 दिनांक 02.02.16	3450.00
7	93 दिनांक 02.02.16	960.00
8	102 दिनांक 02.02.16	11700.00

12 पंचायत की अधिशेष (Surplus)राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में

अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

13 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2015-16 से 2017-18 में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी । जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी । अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें ।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. सीमेंट भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
6. वहीखाते तैयार न करना ।
7. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।

15 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :-

पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गए तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया था परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था । अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें ।

17 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

18 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

;हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2)219/2018 खण्ड–1–7066–7069 दिनांक 02.11.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत तरहेल, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881